



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2012/फाल्गुन 25, 1933

No. 111]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2012/PHALGUNA 25, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2012

सा.का.नि. 150(अ) :- केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल इंजीनियरी (विद्युत) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1999 को, जहां तक उसका संबंध हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल (जेनरेटर ऑपरेटर) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल में इंजीनियरी/विद्युत के समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, (इंजीनियरी/विद्युत) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.— (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग श्रेणी-I, में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(2) "श्रेणी-1" से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :-

(1) कोड अक्षर श्रेणी (एस.एच.ए.पी.ई), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्ता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण अर्थात् :-

एस - मनोवैज्ञानिक

एच - श्रवण शक्ति

ए - उपांग (अपैन्डेजेस)

पी - शारीरिक क्षमता

ई - दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 द्वारा सूचित कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी-1 में है वहां उसका प्रवर्ग एस1एच1ए1पी1ई1 लिखने के बजाय शेष-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण गूल्यांकन निम्नानुसार है :-

- (1) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।
- (2) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आँखों की दृष्टि या दोनों कानों की श्रवण शक्ति तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।
- (3) "एस" कारक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर और दीर्घ कर्तव्यों भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।
- (4) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।
- (5) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

5. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

8. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों को बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने का दायित्व.— इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को वर्दी पहननी होगी और ऐसी नियुक्ति के बाद तुरंत छह सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

9. अधिवर्षिता.— इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए गए अनुसार उस मास के अन्तिम दिन के अपराहन में अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होगा :

परन्तु वह व्यक्ति, जिसकी जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराहन से सेवानिवृत्त होगा।

- (2) किसी भी व्यक्ति को सत्तावन वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवा विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

| पद नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. हैड कांस्टेबल | 350* (2012) | साधारण केन्द्रीय सेवा, | वेतन बैंड 1, 5200-20200 रूपए तथा |
| (i) वायरमैन/ लाइनमैन — 74 | *(कार्यभार के आधार | समूह 'ग' अराजपत्रित, | ग्रेड वेतन 2400 रूपए |
| (ii) बिजली मिस्त्री/ विद्युत — 44 | पर परिवर्तन किया | अननुसचिवीय (योद्धक) | |
| (iii) जेनरेटर आपरेटर — 180 | जा सकता है।) | | |
| (iv) जेनरेटर मैकेनिक — 52 | | | |

| चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|--|---|--|
| (5) | (6) | (7) |
| चयन पद | 18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु सीमा शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। | (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त फर्म से संबंधित ट्रेड में तीन वर्ष का अनुभव। (ख) शारीरिक मानदंड :-(पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) ऊंचाई : 165 से 0मी0, सीना : 76 से 0मी0, (फुलाने के बाद 81 से 0मी0) बीस वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थियों के लिए 2 से 0मी0 तक शिथिल की जा सकती है। वजन : ऊंचाई के अनुपात में और आयु चिकित्सा मानदंड के अनुसार, टिप्पण : ऊंचाई के संबंध में न्यूनतम मानक मूलवंश अर्थात् गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी, लेह और लद्दाख क्षेत्र, कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश राज्य के क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों की बाबत शिथिल करके 162.5 से.मी. तक की जा सकती है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों की बाबत जिसके अन्तर्गत मिजो और नागा भी हैं शिथिल करके 160 से.मी. तक की जा सकती है। (महिला अभ्यर्थियों के लिए) ऊंचाई : 157 से 0 मी0, सीना : लागू नहीं वजन : ऊंचाई के अनुपात में किन्तु 46 किलो से कम नहीं टिप्पण : जहां तक ऊंचाई के संबंध में न्यूनतम मानक मूलवंश अर्थात् गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी, लेह और लद्दाख क्षेत्र, कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश राज्य के क्षेत्र में आने वाली महिलाओं की बाबत शिथिल करके 155 से.मी. तक की जा सकती है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों की बाबत जिसके अन्तर्गत मिजो और नागा भी हैं शिथिल करके 150 से.मी. तक की जा सकती है। (ग) चिकित्सा मानक : (i) दृष्टि - दोनों आंखों की दूर की दृष्टि सुधार किए बिना अर्थात् चश्मा पहने बिना न्यूनतम 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। (ii) अभ्यर्थियों को संहतजानु, सपाट तलवे, स्फीत शिरा या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और ऊँचे दर्जे की रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए और कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि सक्षमतापूर्वक कार्य संपादन में बाधा पड़ने की संभावना हो। (घ) तकनीकी अभिरूचि और ट्रेड परीक्षण दोनों में लिखित, प्रैक्टिकल और साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना चाहिए। (ड.) शारीरिक क्षमता जांच में उत्तीर्ण होना चाहिए। |
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | - हैड कांस्टेबल के लिए (वायरमैन - लाइनमैन, बिजली मिस्त्री, विद्युत और जेनरेटर मैकेनिक) |

(10)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

—भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन हैड कांस्टेबल (जनरेटर आपरेटर के लिए)

—तीस प्रतिशत हैड कांस्टेबल (जनरेटर आपरेटर) में से प्रोन्नति द्वारा ।

सत्तर प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

—भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(11)

(12)

(13)

I. प्रोन्नति :-निरीक्षक ऐसे कांस्टेबल (जनरेटर आपरेटर) जिन्होंने इंजीनियरी या पंजाब कार्य योजना ढांचे में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पण 1:-जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 :-प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित

विभागीय चयन समिति -

1. कमाण्डेंट सीमा सुरक्षा बल — अध्यक्ष
2. सहायक कमाण्डेंट (विद्युत) — सदस्य
सीमा सुरक्षा बल
3. सहायक कमाण्डेंट — सदस्य
सीमा सुरक्षा बल

लामू नहीं होता ।

(11)

एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

II. प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन:

(क) (i) सीमा सुरक्षा बल के ऐसे हैड कांस्टेबल जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण-पत्र हो तथा वृत्तिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन रहते हुए केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान या संगठन से संबंधित ट्रेड में दो वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र हो; या

(ii) सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कांस्टेबल जिन्होंने संबंधित श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र हो तथा वृत्तिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन रहते हुए केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान या संगठन से संबंधित ट्रेड में तीन वर्ष का अनुभव हो; अथवा

(iii) ऐसे कार्मिक जो सेना, अन्य केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों या केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठनों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या लोक निर्माण विभाग या केन्द्रीय राज्य सरकार के मंत्रालयों या विभागों में समतुल्य पद धारण किए हों जिनके पास निम्नलिखित योग्यताएं हों -

(ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण

(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र, या वृत्तिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन रहते हुए केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त फर्म से संबंधित ट्रेड में तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

III. भूतपूर्व सैनिकों के लिए

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन :-सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में

826 4/12-2

(11)

स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1 — प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2 — प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3— ऐसे लोगों पर भी विचार किया जाएगा और उनको अधिमान दिया जाएगा जिन्हें राहत आपरेशन, दीवाल या आयरन गटर काटने, ढह गई या नष्ट हो गई इमारत या मलबे या भूस्खलन आदि से जीवित व्यक्तियों या शवों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित रास्ते बनाने का विविध अनुभव हो या विद्युत इंजीनियरी में कुछ अनुभव हो।

(11)

टिप्पण 4- ऐसे सेना कार्मिक जिनके पास अर्हता है और जिन्होंने पदों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं के समतुल्य रूप में सेना द्वारा मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है, वे भी इन पदों के लिए पात्र होंगे बशर्ते ऐसे पाठ्यक्रम या अर्हताओं को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जैसे किसी केन्द्रीय या राज्य प्राधिदरण द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित और मान्यताप्राप्त हो ।

टिप्पण 5- ऐसे आरक्षक या मुख्य आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) जो कृत्रिम इंजीनियरी मशीनरी और गैस यांत्रिकी मशीनरी में वृत्तिक या सेना प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षित हों या ढही हुई इमारत या मलबे से जीवित व्यक्तियों या शवों को बाहर निकालने के लिए विहित विभिन्न मशीनरी और तकनीक का इस्तेमाल करने के बारे में सेना प्रशिक्षण केंद्र द्वारा संचालित कोई अन्य प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम पूरा किया हो । तथापि कांस्टेबल की दशा में उस ट्रेड में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव के साथ उस श्रेणी में न्यूनतम आठ वर्ष का अनुभव हो ।

टिप्पण 6- ऐसे कार्मिकों की दशा में जिनकी भर्ती किसी स्रोत से प्रतिनियुक्ति या संविदात्मक या पुनर्नियोजन के माध्यम से की गई है, नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फोर्स में शामिल किए जाने की आयु पांच वर्ष बढ़ा दी जाएगी ।

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|------------------------------|---|---|---|
| 2. कांस्टेबल (जनरेटर आपरेटर) | 89* (2012) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक) | वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. तथा ग्रेड वेतन 2000 रु. |
| (5) | (6) | (7) | |
| लागू नहीं होता | 18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु-सीमा शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त | (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण-पत्र या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त फर्म से संबंधित ट्रेड में तीन वर्ष का अनुभव। (ख) शारीरिक मानदंड :- (पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) ऊंचाई : 165 से 0मी०, सीना : 76 से 0मी०, (फुलाने के बाद 81 से 0मी०) बीस वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थियों के लिए 2 से 0मी० तक शिथिलनीय। वजन : ऊंचाई के अनुपात में और आयु चिकित्सा मानदंड के अनुसार | |

| (5) | (6) | (7) |
|--|--|--|
| <p>करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p> | <p>टिप्पण : ऊंचाई के संबंध में न्यूनतम मानक मूलवंश अर्थात् गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी, लेह और लद्दाख क्षेत्र, कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश राज्य के क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों की बाबत शिथिल करके 162.5 से.मी. तक की जा सकती है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों की बाबत जिसके अन्तर्गत मिजो और नागा भी हैं शिथिल करके 160 से.मी. तक की जा सकती है। (महिला अभ्यर्थियों के लिए) ऊंचाई : 157 से.मी., सीना : लागू नहीं, वजन : ऊंचाई के अनुपात में किन्तु 46 किलो से कम नहीं</p> <p>टिप्पण : जहां तक ऊंचाई के संबंध में न्यूनतम मानक गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमी, लेह और लद्दाख क्षेत्र, कश्मीर घाटी, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश राज्य के क्षेत्र में आने वाली महिलाओं की बाबत शिथिल करके 155 से.मी. तक की जा सकती है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों की बाबत जिसके अन्तर्गत मिजो और नागा भी हैं शिथिल करके 150 से.मी. तक की जा सकती है।</p> | <p>(ग) चिकित्सा मानक</p> <p>(i) दृष्टि — दोनों आंखों की दूर की दृष्टि सुधार किए बिना अर्थात् चश्मा पहने बिना न्यूनतम 6/6 और 6/9 होनी चाहिए।</p> <p>(ii) अभ्यर्थियों को संहतजानु, सपाट तलवे, स्फीत षिरा या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और ऊँचे दर्जे की रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए और कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि सक्षमतापूर्वक कार्य संपादन में बाधा पड़ने की संभावना हो।</p> <p>(घ) तकनीकी अभिरूचि और ट्रेड परीक्षण दोनों में लिखित, प्रैक्टिकल और साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना चाहिए।</p> <p>(ड.) शारीरिक क्षमता जांच में उत्तीर्ण होना चाहिए।</p> |
| (8) | (9) | (10) |
| नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | <p>साठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (जिसके अन्तर्गत दस प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक भी हैं) जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p> <p>चालीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा;</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।</p> |
| (11) | (12) | (13) |
| <p>I. प्रतिनियुक्ति — सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कांस्टेबल जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास उस श्रेणी के लिए अर्हक अधिमानता परीक्षण के अधीन रहते हुए संबंधित ट्रेड में एक वर्ष का अनुभव है।</p> | <p>विभागीय चयन समिति —</p> <ol style="list-style-type: none"> कमाण्डेंट, सीमा सुरक्षा बल — अध्यक्ष सहायक कमाण्डेंट (संकर्म/विद्युत), सीमा सुरक्षा बल — सदस्य सहायक कमाण्डेंट, सीमा सुरक्षा बल — सदस्य | लागू नहीं होता। |
| <p>टिप्पण—उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास मान्यताप्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा है।</p> | | |

(11)

II. भूतपूर्व सैनिकों के लिए

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन :- सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[फा. सं. 17/94/2009-कार्मिक/सीसुबल/पार्ट फाइल]

नीरज कंसल, निदेशक (कार्मिक)

826 96/12-3

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2012

G. S. R.150(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (b) and (c) of sub-section (2) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) and in supersession of the Border Security Force (Engineering/Electrical) Group 'B' and 'C' posts recruitment rules, 1999, in so far as they relate to the posts of Head Constable and Constable (Generator Operator) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group-'C' posts of Engineering/Electrical, in the Border Security Force namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Border Security Force (Engineering/Electrical) Group 'C' posts Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and the pay band and grade pay or pay scale.**— The number of posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit qualifications etc.**— The method of recruitment to the said posts, age limits, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Medical Fitness.**— (1) Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

(2) SHAPE-I means the Medical Category defined as under :

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function :—

S — Psychological

H — Hearing

A — Appendages

P — Physical Capacity

E — Eye-Sight

(ii) Functional capacity of an officer under each factor will be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S₁H₁A₁P₁E₁. General evaluation of these numerals is as under :—

(1) Fit for all duties anywhere.

(2) Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and areas of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears and eyes.

(3) Excepting "S" factor, fit for routine or sedentary duties but may have limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.

(4) Temporarily unfit for duties on account of hospitalization or sick leave.

(5) Permanently unfit for duties.

5. **Disqualifications** — No person, -

(a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into, or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

